question will be governed by the agreement to be finally executed by the parties concerned.

Export of Salt

2015. **Shri M. P. Swamy:**
Shri Kasinatha Dorai:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to nationalise salt industry with a view to augmenting salt export; and

(b) whether Government propose to set up a Salt Corporation in the public sector for exporting salt to foreign countries?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

द्विभाषिक रूप में प्रकाशित रेलवे संहितायें और नियम तथा विनियम

2016. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955–65 तक मंत्रालय द्वारा सभी जोनल रेलवे से सम्बन्धित कितनी संहितायें और नियम तथा विनियम द्विभाषिक रूप में (हिन्दी-अंग्रेजी) प्रकाशित किये गये;

(ख) कौन कौन सी संहितायें द्विभाषिक रूप में प्रकाशित नहीं की गई और उनके कितने भाग का अनुवाद पूरा हो गया है; और

(ग) 1966 में कौन-कौन सी संहितायें द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की जायेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नियमों और संहिताओं आदि को अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषी रूप में निकालने का निर्णय 1961 में किया गया था 1961 से पहले रेलों को लगभग 10 नियम पुस्तकों और पुस्तिकाओं के हिन्दी अनुवाद भेजे गये थे ।

(ख) निम्नलिखित 7 संहिताओं को अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषी रूप में निकालना उपेक्षित है : —

1. भारतीय रेल सामान्य संहिता ।
2. भारतीय रेल सिब्बन्दी संहिता ।
3. लेखा विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता ।
4. यांत्रिक विभाग (कारखाना) के लिए भारतीय रेल संहिता ।
5. भण्डार विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता ।
6. इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेल संहिता ।
7. यातायात विभाग (वाणिज्य) के लिए भारतीय रेल संहिता ।

गृह मंत्रालय के निदेश के अनुसार सांविधिक संहिताओं का अनुवाद विधि मंत्रालय द्वारा और असांविधिक संहिताओं का अनुवाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार सिब्बन्दी संहिता को, जो सांविधिक प्रकाशन है, विधि मंत्रालय को और बाकी 6 असांविधिक संहिताओं को हिन्दी अनुवाद और/या अन्तिम परिशोधन के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया ।

(ग) चूंकि इन संहिताओं का अनुवाद अभी हो रहा है, इसलिये अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि चालू वर्ष में ये संहिताएं द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जा सकेंगी या नहीं ।